संख्या–I/440321/2026–III(2)/2026–60(एम०एल०ए०)/2022
ई0पत्रावली–47985

प्रेषक,

ध्रुव मोहन सिंह राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 अक्टूबर, 2026

विषयः राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के अंतर्गत रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज–बिजटी राज्यमार्ग संख्या–41 के कि0मी0 36 में निहाल नदी पर वर्ष 2024–25 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 21 मीटर विस्तार आर0सी0सी0 सेतु का नवनिर्माण (विस्तृत आगणन) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का० लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन (प्रोजेक्ट आई०डी0–5781) जिसके अंतर्गत सेतु की लम्बाई 21 मीटर एवं लागत ₹396.08 लाख है, के सापेक्ष शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹396.08 लाख (₹ तीन करोड़ छियानब्बे लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु ₹ 10,000/–(₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. सेतु के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक अवधि ही निविदा में रखी जाय। इस हेतु कार्य योजना बनाकर अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करवा लिया जाय।
ii. सेतु हेतु प्रस्तावित डायवर्जन के निर्माण से पूर्व इनके प्राविधानों का स्थलीय अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा करवा लिया जाय।
iii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–149101/XXVII(7)/E–20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति नहीं हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाए।
iv. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय–समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाय।

Scanned with OKEN Scanner

I/440/26, 4:

कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xviii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28–03–2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या–4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है ।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा ।

3– ये आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/440084/2026, दिनांक –12.10.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 13-10-2026
11:10:23

(ध्रुव मोहन सिंह राणा)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तददिनांकित ।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल ।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षे०कार्या०, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि., नैनीताल ।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., हल्द्वानी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/440321/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26100220038
आवंटन पत्र दिनांक-21-OCT-2026

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	
	02-नये निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	5660000	10000	0	5670000
योग	5660000	10000	0	5670000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक–1361 /20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1/2026, दिनांक–30 अक्टूबर,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,.....E.E1st.....।
2. अधीक्षण अभियन्ता,.....D.2.....वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.....नैनीताल.....।
3. अधिशासी अभियन्ता,.....CD.....खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,.....E.E1st.....।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

30/10/26

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner